उद्योग विभाग/उद्योग निदेशालय द्वारा लोक कल्याण की संचालित योजनाओं के विवरण (1) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की स्थापना

- उद्यमियों व्दारा अपनी उद्यम स्थापना के क्रम में एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट–2006 की व्यवस्था के अनुसार उद्यम ज्ञापन भाग–1 व भाग–2 जिला उद्योग केन्द्रों में दाख़िल किये जाते थे। अब इस व्यवस्था में परिवर्तन कर भारत सरकार द्वारा नई **''उद्योग आधार मेमोरेण्डम''** (यूएएम) व्यवस्था दिनॉक 18.09.2015 से लागू की गयी है। प्रदेश सरकार द्वारा भी इस व्यवस्था को दिनॉक 24.11. 2015 को नोटीफाइड कर दिया गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत उद्यमी नकलवहंकींतण्हवअण्पद वेबसाइट पर जाकर एक पेज के प्रोफार्मे पर अपने उद्योग की जानकारियों को भरकर अपना उद्योग आधार मेमोरेण्डम ऑन–लाइन रूप से प्राप्त कर सकते हैं।

(2) उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य पुरस्कार योजना (डा0 राम मनोहर लोहिया प्रादेशिक पुरस्कार)

- प्रदे ा के सफल एवं उत्कृष्ट लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्दे य से यह योजना भासनादे ा संख्या 564/18–2–2009–30 (15)/2002 दिनांक 17 अगस्त, 2009 द्वारा प्रारम्भ की गई।
- उक्त योजनान्तर्गत प्रदे ा के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के अधिक से अधिक उद्यमियों को उनके हाई टर्न ओवर सफल एवं उत्कृष्ट उत्पाद, गुणवत्ता, अनुसंधान एवं विकास हेतु पुरस्कार दिया जायेगा। जो निम्नवत श्रेणी में होंगेः–

1. **उ0प्र0 उद्यमी पुरस्कारः–** रू0 1.25 लाख (ड्राफ्ट) स्वर्ण पदक, प्र ास्ति पत्र एवं अंग वस्त्र। यह पुरस्कार सभी श्रेणियों में चयनित प्रथम इकाईयों में से मास्टर तालिका के अंको व सर्वाधिक टर्नओवर के आधार पर सर्वोत्तम इकाई को दिया जायेगा।
2. **सूक्ष्म उद्योग श्रेणीः–** पुरस्कार – प्रथम– 50,000 (नगद), पदक, प्र ास्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
   द्वितीय – 40,000 (नगद),पदक, प्र ास्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
3. **लघु उद्योग श्रेणीः–** पुरस्कार– प्रथम – 50,000 (नगद), पदक, प्र ास्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
   द्वितीय – 40,000 (नगद),पदक, प्र ास्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
4. **मध्यम उद्योग श्रेणीः–** पुरस्कार– प्रथम – 50,000 (नगद),पदक ,प्र ास्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
   द्वितीय – 40,000 (नगद),पदक, प्र ास्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
5. **सर्विस क्षेत्रः–** पुरस्कार– प्रथम – 50,000 (नगद), पदक, प्र ास्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
   द्वितीय – 40,000 (नगद), पदक, प्र ास्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
6. **सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम उद्योगों में विशिष्ट प्रयासों हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमी पुरस्कारः–** अनु0जाति/जनजाति – 50,000 (नगद),पदक, प्र ास्ति पत्र एवं अंग वस्त्र महिला उद्यमी – 40,000 (नगद), पदक, प्र ास्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
7. **सूक्ष्म, लघु उद्योगों हेतु विशिष्ट गुणवत्ता उत्पादः–** कुल पुरस्कार संख्या 14 प्रत्येक श्रेणी में एक पुरस्कार रू0 25,000 (नगद) (पदक, प्र ास्ति पत्र)।
8. **सेवा क्षेत्र उद्यमी विशिष्ट पुरस्कारः–** कुल पुरस्कारों की संख्या–12 प्रत्येक श्रेणी में एक पुरस्कार रू0 25,000 (पदक, प्र ास्ति पत्र)।

(3) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा संचालित तथा जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा संचालित है, जिसके अन्तर्गत रू0 25.00 लाख तक लागत की परियोजना की स्थापना कराकर युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा जाता है।
- योजनान्तर्गत 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। योजना में विशेष श्रेणी के लाभार्थियों यथा– अनु0जा0/ज0जा0/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक व महिलाओं इत्यादि व्दारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले उद्यमों पर 35 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी है तथा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों व्दारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की जाने

वाली परियोजनाओं पर 25 प्रतिशत तक के अनुदान की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में स्थापित होने वाली परियोजनाओं के लिए सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए 15 प्रतिशत तथा विशेष श्रेणी के लाभार्थियों हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

- योजना का क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा जिला उद्योग केन्द्रों व्दारा प्रदेश में किया जा रहा है।

(4) उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं तकनीकी उन्नयन योजना

आर्थिक वैश्वीकरण और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के नये वातावरण और उदारीकरण के सम्पूर्ण प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2007 से प्रारम्भ की गयी है। जिसके अन्तर्गत स्थापित इकाईयों को नई तकनीकी की खरीद, उत्पादन में वृद्धि एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु मशीनों/संयंत्रों के क्रय, मशीनों के क्रय के लिए ऋण एवं आई0एस0ओ0/आई0एस0आई0 प्राप्त करने हेतु क्रय की गयी धनराशि पर अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

- इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित उद्यमों व्दारा नई तकनीक की मशीनों इत्यादि की स्थापना करने पर अधिकतम रू0 2.00 लाख तक अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

(5) सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना

- क्लस्टर विकास योजनान्तर्गत जनपद के वर्तमान क्लस्टर(उद्योग समूह) के उन्नयन हेतु कॉमन फैसलटी स्थापना के लिए सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
- वित्तीय सहायता एस0पी0वी0(कम से कम 20 सदस्य) को प्रदान की जाती है।

(6) हस्तशिल्प पेंशन योजना

- शिल्पियों की बहुलता एवं उनके कला कौशल ने प्रदेश की शिल्प विद्या एवं कला कृतियों को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलायी है, परन्तु शिल्पकारों की शारीरिक क्षमता अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष समय से पहले ही कम हो जाती है। गिरते स्वास्थ्य एवं बढती आयु के कारण शारीरिक रूप से शिथिल हो जाते हैं। फलतः उनकी आय जनन क्षमता भी घट जाती है। अतः उनके अनुत्पादक शेष जीवन काल में राज्य सरकार से आर्थिक सहयोग आवश्यक है। इसी उद्देश्य से शिल्पकारों के लिए यह योजना संचालित की गयी है।

- योजनान्तर्गत भारत सरकार के शिल्पगुरू के रूप में चयनित अथवा राज्य पुरस्कार/राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पियों को रू0 1,000/– प्रति माह पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है।
- अगस्त,2016 से योजना में आंशिक संशोधन करते हुए हस्तशिल्पियों को रू0 1000/– प्रतिमाह पेंशन के स्थान पर रू0 2000/– प्रतिमाह किया गया है।

(7) हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना

- उ0प्र0 में लगभग 25 लाख हस्तशिल्पी है। ये विभिन्न हस्तशिल्प जैसे– कालीन, चूडी, ताला, जरी जरदोजी, हैण्डलूम, चिकन कारीगरी, स्टोन कार्विंग, बुड कार्विंग, ब्लैक पाटरी, बेंतवास, लकडी के खिलौने, टेराकोटा पीतल की कला, जूटवॉल हैगिंग, पतंगकासा, पंजादरी पाटरी आदि क्षेत्रों में अपना अमूल्य सहयोग देकर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी स्थित यह है कि अधिकॉशतः हस्तशिल्पी हुनरमन्द होते हुए भी अत्यन्त गरीब है। इनके तैयार किये गये माल के विपणन में सहायता के लिए इस योजना का संचालन किया गया है।
- इस योजनान्तर्गत प्रदेश के हस्तशिल्पियों को अपने उत्पादों के विपणन हेतु विभिन्न मेलों में भाग लिये जाने के क्रम में परिवहन व्यय एवं स्टाल के किराये में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रू0 10,000/– राज्य सहायता प्रदान करने का प्राविधान है।
- अगस्त,2016 से योजना में आंशिक संशोधन करते हुए उपरोक्तानुसार वर्ष में एकबार प्राप्त होने वाली सहायता को बढ़ाकर वर्ष में दो बार किया गया।

(8) हस्तशिल्प कौशल विकास उन्नयन योजना एवं निर्यात बाजार हेतु डिज़ाइन वर्कशॉप

योजना

- यह योजना वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ की गयी है। हस्तशिल्प क्षेत्र में परम्परागत विधा से हो रहे कार्य को धीरे–धीरे बेहतर तकनीकी से कराना एवं इस हेतु उनको कौशल विकास की दर से प्रशिक्षित कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना प्रदेश के हस्तशिल्प बाहुल्य जिलों में संचालित की जाती है, जिसके अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र होते हैं। यह प्रशिक्षण नवीनतम तकनीकी एव उन्नत किस्त के औजारों/उपकरणों के उपयोग भी सिखाये जाते हैं। इस योजनान्तर्गत दो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

(अ) हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजनाः– यह प्रशिक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा शिल्पगुरू की उपाधि से अलंकृत शिल्पकारों के घरों पर उन्हीं के व्यक्तिगत निर्देशन व संरक्षण में संचालित किया जाता है।

(ब) निर्यात बाजार हेतु डिजाईन वर्कशाप योजनाः– यह योजना भी प्रदेश के हस्तशिल्प बाहुल्य जिलों में संचालित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत नियमित एवं स्पॉसर्ड वर्कशॉप आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना प्रदेश के ऐसे प्रमुख हस्तशिल्प क्षेत्रों में, जहॉ हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित निर्यात योग्य उत्कृष्ट कला कृतियॉ बनाई जा रही है, संचालित कराई जाती है। इसके योजनान्तर्गत वही पात्र होते हैं जो हस्तकला/निर्यात से सम्बद्ध उत्पादों में अनुभव रखते हैं। इसमें किसी शैक्षिक योग्यता एवं आयु का कोई प्रतिबन्ध नही है, किन्तु वर्कशाप में ऐसे ही व्यक्तियों को लिया जाता है जो नई डिजाइनों के विकास एवं उन्हें अपनाने में रूचि रखते हैं अथवा जिन्हें निर्यातक प्रायोजित करते हैं।

- योजनान्तर्गत हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिज़ाइन वर्कशॉप के माध्यम से हस्तशिल्पियों की क्षमता में अभिवृद्धि सुनिश्चित की जाती है।

(9) अनु0जाति/जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना

- यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति युवक/युवतियों के लिए लागू की गयी है। इस योजना में लाभार्थियों को चयनित कर स्किल्ड डेवलपमेंट पैदा करने हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की मॉग के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को एक माह का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाईयों/सेवा केन्द्रों पर दिया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात

प्रशिक्षार्थियों को सम्बन्धित ट्रेडों की टूलकिट दी जाती है, जिससे लाभार्थी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति सम्बन्धित ट्रेडों में कर सके। यह प्रशिक्षण विभिन्न ट्रेडों जैसे– बढ़ई, दुपहिया वाहन रिपेयरिंग, ट्रेक्टर रिपेयरिंग, विद्युत रिपेयरिंग, टेलरिंग, साडियों की कढ़ाई एवं छपाई, कालीन एवं दरी बुनाई आदि में दी जाती है।

(10) एकल मेज व्यवस्था एवं उद्योग बन्धु

- प्रदेश में उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण तथा इकाईयों की स्थापना को फैसिलीटेट कराने हेतु त्रिस्तरीय उद्योग बन्धु की बैठकों की व्यवस्था है।

- **वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी** बनाते हुए मुख्य सचिव के शासनादेश सं0–730/77– 6–13–13(एम)/12(ए) दिनांक 20–05–2013 के माध्यम से राज्य, मण्डल व जिला उद्योग बन्धु समितियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इनका पुनर्गठन करते हुए **मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता** में **उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति** तथा **मुख्य सचिव की अध्यक्षता** में **राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु** समिति का गठन किया गया है। मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु एवं जिले स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु की बैठकों को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।

- जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से संचालित एकल मेज व्यवस्था के अन्तर्गत उद्यमियों व्दारा उद्यम स्थापना के क्रम में वांछित विभिन्न विभागों की अनापत्तियां/स्वीकृतियां इत्यादि निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत प्राप्त करायी जाती हैं। इसी प्रकार जिला व मण्डल स्तर पर आहूत होने वाली जिला/मण्डल उद्योग बन्धु की बैठकों के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण कराया जाता है। इन योजनाओं के माध्यम से विभाग व्दारा फैसिलिटेटर की भूमिका का निर्वहन किया जाता है।

(11) विभाग व्दारा स्थापित औद्योगिक आस्थान/मिनी औद्योगिक आस्थान

- औद्योगिक आस्थान योजना का शुभारम्भ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। औद्योगिक आस्थान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में लघु उद्योगों को विकसित भूखण्ड/शेड एवं अवस्थापना सुविधा आदि उपलब्ध कराना था तथा लघु उद्योग की स्थापना, विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना था। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जनपदों में तहसील स्तर पर मिनी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की गयी है।
- औद्योगिक आस्थानों में भूखण्ड/शेडों का आवंटन प्राप्त करने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों में उपलब्धता के आधार पर आवेदन पत्र देना होता है, जिसका निस्तारण जिला उद्योग बन्धु की बैठक में किया जाना प्राविधानित है। विभाग व्दारा प्रदेश में 78 बृहद् औद्योगिक आस्थान एवं 161 मिनी औद्योगिक आस्थान स्थापित किये गये हैं जिनमें विकसित भूखण्डों/शेड्स के आवंटन की स्थिति निम्नानुसार हैः–

1– वृहत औद्योगिक आस्थान

- कुल विकसित भूखण्ड/शेड– 3648/987
- कुल आवंटित भूखण्ड/शेड– 3586/982
- कुल रिक्त भूखण्ड/शेड– 62/05

2– मिनी औद्योगिक आस्थान

- कुल विकसित भूखण्ड/शेड– 7560/ –
- कुल आवंटित भूखण्ड/शेड– 6164/ –

- कुल रिक्त भूखण्ड/शेड– 1396/ –

(12) फैसिलिटेशन कॉउन्सिल

- वृहद एवं मल्टी नेशनल कम्पनियों की उच्च प्रतिस्पर्धा एवं कार्यशील पूँजी की कमी से जूझ रहे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों द्वारा आपूर्तित माल/ सेवाओं के सम्बन्ध में क्रेता द्वारा रोके गये भुगतान विषयक व्यवसायिक विवादों के निस्तारण हेतु विशेष केन्द्रीय अधिनियम–2006 (एम0एस0एम0ई0डी0 ऐक्ट–2006) के प्रावधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य माइक्रो एण्ड स्माल इण्टरप्राइजेज फैसिलिटेशन कॉउन्सिल का गठन आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0 की अध्यक्षता में किया गया।

- काउन्सिल एक **''स्टेटयूटूरी आब्रीट्रल ट्रिब्यूनल''** के रूप में प्रदेश की सीमा में स्थापित ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विलम्बित भुगतानों का निस्तारण करती है, जिन्होंने माल/सेवा आपूर्ति के पूर्व स्थानीय जिला उद्योग केन्द्र से स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये थे तथा उक्त अधिनियम– 2006 के प्रभाव में आने में उपरान्त उद्यमी ज्ञापन–2 प्रस्तुत कर अभिस्वीकृति –2 प्राप्त कर लिये हैं।

- फैसिलिटेशन नियमावली–2007 के अनुसार काउन्सिल की न्यूनतम एक बैठक प्रत्येक माह आहूत किये जाने का प्रावधान है।

(13) सामग्री क्रय योजना

सरकारी विभागों में आवश्यक सामग्रियों के क्रय किये जाने में प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को वरीयता प्रदान करने हेतु मात्रा अनुबन्ध एवं दर अनुबन्ध के आदेश निर्गत किये गये हैं। केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध की व्यवस्था उद्योग निदेशालय एवं उद्यम प्रोत्साहन स्तर पर लागू की गयी है तथा उद्योग निदेशालय तथा उद्यम प्रोत्साहन को राज्य क्रय संगठन(एस0पी0ओ0) नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश प्रिक्योरमेन्ट मैनुवल (प्रिक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) का प्रख्यापन भी किया गया है।

(14) समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना

- उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2016 के अर्न्तगत सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने एवं प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से **''समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना''** संचालित किये जाने का ाासन द्वारा निर्णय लिया गया है।
- योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र हेतु रू0 25.00लाख एवं सेवा क्षेत्र हेतु रू0 10.00लाख तक का ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। उद्योग क्षेत्र के ऋणों के लिए 25प्रतिशत अधिकतम रू0 6.25लाख एवं सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 2.50लाख की सब्सिडी भी लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।
- उ0प्र0 के मूल निवासी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो , हाईस्कूल उत्तीर्ण हो तथा किसी भी वित्तीय संस्थान से डिफाल्टर न हों, ऐसे व्यक्ति योजनान्तर्गत पात्र होगें।
- चयन समिति के चयनोपरान्त 7 दिनों के अन्दर आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए जाते हैं। संबंधित बैंक एक माह के अन्दर ऋण स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के उपरान्त एक माह के अन्दर ऋण वितरण की कार्यवाही की जाती है। रिजर्व बैंक के नियमानुसार कोलेटरल गारंटी देनी होती है। क्लेम के 7दिनों के अन्दर अभ्यर्थी के खाते में सब्सिडी ट्रांसफर की जाती है।

(15) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति के अन्तर्गत ब्याज उपादान

- दे ा तथा प्रदे ा की अर्थ व्यवस्था तथा रोजगार सृजन में एम.एस.एम.ई. की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृ ि के प चात् एम.एस.एम.ई. ही सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है। एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को और प्रतिस्पर्धी बनाने सुदृढ़ करने एवं नव उद्यमियों को इस क्षेत्र की ओर आकृ ट करने के उद्दे य से ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम नीति के अनतर्गत प्रदेश के पूर्वान्चल, बुन्देलखण्ड व मध्यान्चल क्षेत्र के जनपदों में ब्याज उपादान योजना'' वर्ष 2016–17 से प्रस्तावित की गयी है।
- उक्त क्षेत्र के जनपदों में स्थापित होने वाली नई लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी क्रय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज पर उपादान प्रदान किया जाता है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित किया जा सके तथा पर्याप्त संख्या में रोजगार के अवसर सृजित हो सकें।
- योजनान्तर्गत पूर्वान्चल व बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिलों में स्थापित होने वाली लघु एवं मध्यम औद्योगिक क्षेत्र की इकाईयों को 07 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू0 3.00 लाख प्रति इकाई प्रतिवर्ष की दर से 05 वर्शो तक तथा मध्यान्चल क्षेत्र के जिलों में 05 प्रति ात की दर से अधिकतम रू0 3.00 लाख प्रति इकाई प्रतिवर्ष की दर से 05 वर्षो तक ब्याज उपादान उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

(16) यू0पी0इन्स्टीटयूट ऑफ डिजाइन को ''क्राफ्ट डिजाइन भौक्षिक संस्था'' के रूप में विकसित किया जाना

- दे ा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदे ा अपनी समृद्ध हस्ता िल्प के कारण दे ा में अपना वि िष्ट स्थान रखता है। दे ा के कुल हस्ता िल्पियों की 29 प्रति ात आबादी उत्तर प्रदे ा में रहती है। दे ा के कुल हस्ता िल्प निर्यात का 60 प्रति ात हिस्सा उत्तर प्रदे ा में निर्मित हस्ता िल्प का है। उत्तर प्रदे ा में हस्ता िल्प की समृद्ध परम्परा को क्राफ्ट डिजाइन व अन्य क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने हेतु वर्ष 1956 में सेन्ट्रल डिजाइन सेन्टर(सी.डी.सी.) की स्थापना लखनऊ में की गयी थी। सी0डी0सी0 को वर्ष 2005 में उत्तर प्रदे ा इन्स्टीटयूट ऑफ डिजाइन(यू.पी.आई.डी.) के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।
- उत्तर प्रदे ा इन्स्टीटयूट ऑफ डिजाइन(यू.पी.आई.डी.) द्वारा तकनीकी व संस्थागत कमियों के कारण हस्ता िल्प क्षेत्र में वांछित योगदान नहीं दिया जा सका। उत्तर प्रदे ा में हस्ता िल्प को बढ़ावा दिये जाने हेतु क्राफ्ट डिजाइन व तकनीकी सुविधाओं एवं सहायता उपलब्ध कराने तथा हस्ता िल्पियों के समग्र विकास हेतु प्र ाक्षित एवं दक्ष हस्ता िल्पियों को तैयार करने हेतु किसी स्तरीय संस्था की कमी को दृ ्टिगत रखते हुए उ0प्र0इन्स्टीटयूट ऑफ डिजाइन(यू.पी.आई.डी.) को ''क्राफ्ट डिजाइन भौक्षिक संस्थान'' के रूप में विकसित किया जायेगा।

(17) समाजवादी हस्ति ाल्प पें ान योजना

- हमारे ि ल्प हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। प्राचीन काल से ही इन्हें संरक्षित, पल्लवित करने का कार्य क्रिया गया है, जिससे ि ल्प विधाओं का निरन्तर विकास होता गया। समाज के एक बड़े हिस्से का आज यह अजीविका का साधन है। हस्ता िल्प उत्पादों का निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे रोजगार व विदे ाी मुद्रा भी दे ा को प्राप्त हो रही है। हस्ता िल्प को अपने जीविकोपार्जन का साधन बनाने वाले हस्ता िल्पियों के स्वास्थ्य पर समय के साथ प्रतिकूल प्रभाव भी होते हैं। महीन काम वाली कारीगरी से ऑखों, मार्वल व कॉच के ि ल्प से फेफड़ों, आतों व कान आदि पर कुप्रभाव प्रभाव पड़ता है तथा उनमें समय से पहले बूढ़ापन आ जाता है।
- ऐसे में हस्ता िल्प क्षेत्र में कार्यरत ि ल्पियों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना आव यक हो जाता है। अतः ि ल्प/कला के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए नये पहचान–पत्र धारक ि ल्पियों को भी पें ान की सुविधा इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित की गयी है। अब तक पें ान योजना के अन्तर्गत केवल 50 वर्ष के बाद ही केवल राज्य स्तरीय पुरस्कार से

पुरस्कृत हस्ति ाल्पियों को ही पें ान अनुमन्य होती थी। प्रस्तावित योजना में नये ि ाल्पियों को भी रू0 500.00 प्रतिमाह पें ान प्रदान की जायेगी।

(18) उद्यमिता विकास संस्थान को कार्पस फण्ड

- उद्यमिता विकास संस्थान नई अवधारणा के अनुसार वातावरण सृजित कर उद्यमिता के विकास का कार्य कर रहा है। उद्यमिता के आधार पर ही स्वरोजगार एवं नये रोजगार सृजित किये जा सकते हैं। उद्यमिता विकास संस्थान वि ोश्ज्ञ संस्थाओं के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रदे ा में नव उद्यमी तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदे ा के औद्योगिक विकास हेतु प्रदे ा सरकार के अधिकारियों एवं कार्मिकों हेतु भी प्र ाक्षण कार्यक्रमों का आयोजन संस्थान द्वारा किया जा रहा है। उद्यमिता विकास संस्थान के लिए कार्पस फण्ड की आव यकता है।

(19) उ0प्र0निर्यात संवर्धन परिशद की स्थापना के लिए कार्पस फण्ड

- निर्यात नीति उत्तर प्रदे ा 2015 के प्राविधानान्तर्गत प्रदे ा में निर्यात एवं हस्ति ाल्प क्षेत्र की इकाईयों को बढ़ावा देने, उन्हें संरक्षण प्रदान करने, विभिन्न अन्तर्राश्ट्रीय व्यापार मेलों में उत्तर प्रदे ा के ब्राण्ड प्रमो ान के उद्दे य से भ्ाासनादे ा संख्या–1609/18–4–2015–27(विविध)/15, दिनॉक 02.11.2015 द्वारा प्रदे ा स्तर पर ''उत्तर प्रदे ा एक्सपोर्ट प्रमो ान काउन्सिल'' का गठन किया गया।
- उक्त परिश्द द्वारा नई निर्यातक इकाईयों के लिए हितकारी परिवे ा, बेहतर विपणन सुविधायें, नये बाजारों से सम्बन्धित अवसरों की पहचान, गुणवत्ता एवं पैकिंग के अन्तराश्ट्रीय मानको का अंगीकरण आदि कार्यो हेतु आई.सी.डी.सी.एफ.एस. के उच्चीकरण एवं रेल/रोड़ नेटवर्क से कनेक्टीविटी, विदे ाी बाजारों मे वेयर हाउस एवं भ्ाो रूम्स की स्थापना, डिजाइन सेन्टर, डिजाइन लैब, डिजाइन बैंक, टूल रूम आदि की स्थापना, निर्यातकों के स्वयं सहायता समूहों का गठन, निर्यात हेतु नवाचार को प्रोत्साहन एवं रॉ–मैटेरियल बैंकों की स्थापना के महत्वपूर्ण कार्य किये जायेंगे।